न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2020 (उदयपुर आर्डर)

दुर्गाशंकर पिता स्वर्गीय देवराम जोशी (ब्राहमण), निवासी ब्राहमणों का खेरवाडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. भरतसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत, निवासी नामली, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती हिम्मत कुंवर पत्नी महेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी अटाटिया, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रेखा कुंवर पत्नी महेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी आमीवाडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती धन कुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत, निवासी नामली, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)
6. इन्दरसिंह पिता वदनसिंह राजपूत, निवासी नामली, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल
दिनांक 19.03.2020 प्र.सं. 64/2018

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 24–07–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नामली में साबिक आराजी नंबर 336 रकबा पौने चार बिस्वा स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 388 रकबा 0.17 एयर है, जिसके मूल खाते [illegible]सिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत थे, जिन्होंने दिनांक 31–10–1960 को उक्त [illegible] 599/– रूपये में देवराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:09 IST
Reason: SelfAttested

पिता लच्छीराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया तथा नामान्तरकरण स्वीकृत होकर जमाबन्दी संवत् 2030 में खाता संख्या 15 में देवराम का नाम दर्ज है। देवराम ने 1973 में उक्त भूमि अन्त आराजियात के साथ प्रार्थी को रजिस्टर्ड बक्षीस कर दी, तब से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु हाल पैमाईश में उक्त भूमि बदनसिंह के खाते अंकित कर दी गयी तथा बदनसिंह की मृत्यु पश्चात् उनके वारिस गोविन्दसिंह व इन्दरसिंह के नाम दर्ज हो गयी तथा गोविन्दसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम दर्ज हो गयी। विपक्षी संख्या 2 से 6 ने उक्त प्रविष्टि का नाजायज लाभ उठाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में उक्त भूमि में अपना हिस्सा रहन रख दिया। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–03–2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–12–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण लॉकडाउन होने से नकल दिनांक 20–10–2020 को प्राप्त हुई, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने इस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किये गये, जिससे स्पष्ट है विवादित भूमि अपीलान्ट को रजिस्टर्ड बक्सीननामें से प्राप्त हुई है तथा विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं हुआ है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने हाल आराजी नंबर 388 को साबिक आराजी नंबर 335 से बनना मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अगर यदि सही खसरा बनाया जाता तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नौबत ही क्यों आती। हाल खसरा नंबर 388 खसरा नंबर 336 से ही बना है तथा अपीलान्ट का नाम लिख जाकर बाद में काटा गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित हाल आराजी नंबर 338 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट का कथन है कि हाल आराजी नंबर 388 के साबिक आराजी नंबर 336 थे, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक अनुसार इसके साबिक आराजी नंबर 335 होना स्पष्ट प्रकट होता है। उपरोक्त विवेचनों के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 19–03–2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:09 IST
Reason: SelfAttested